तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1815/2002/नागौर मिश्रीलाल वगैरहा बनाम हरिराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री डूंगरसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः– 25–11–2019

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 24–01–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के विचाराधीन रहने के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दिनांक 06–02–2017 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10–ए बाबत अप्रार्थी संख्या 2 का देहान्त होने के कारण उसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत पेश किया। हमने प्रार्थना पत्र बाबत उभयपक्ष को सुना। न्यायहित में आलोच्य प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उल्लेखित आवेदकों को अप्रार्थी पक्ष प्रतिस्थापित किया जाता है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी/वादी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर के समक्ष वाद पत्र में संलिप्त प्रश्नगत रकबे के संबंध में इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 23–08–1994 में विवेचित किया कि दिनांक 11–07–1994 का जो आदेश किया गया है उसे देखा गया जो आदेश सेवन से गलत लिखा गया है,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1815/2002/नागौर मिश्रीलाल वगैरहा बनाम हरिराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसे खारिज किया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11–07–1994 को इस प्रार्थना पत्र से अलग किया जाकर दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को नोटिस दिया जावे व इस पत्रावली को प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23–08–1994 से अप्रसन्न होकर अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 24–01–2002 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है। हमने निगरानी के संबंध में दोनों पक्षों की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने निगरानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए आक्षेपित आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुए खारिज करने का निवेदन किया। उनका कहना है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–07–1994 के अनुसार प्रार्थीगण को नोटिस जारी कर दावे में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जानी चाहिए थी। उनका आगे कहना है कि अपीलीय न्यायालय ने अजनबी क्रेता को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद कर दिया जबकि उनके समक्ष अजनबी क्रेता पक्षकार संस्थित नहीं थे। आगे बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–08–1994 अपील के निर्णय तक ही प्रभावी रहता है तथा अपील के निर्णय के बाद उक्त आदेश स्वतः ही अपील के निर्णय में समाहित हो जाता। फिर भी अपीलीय न्यायालय ने उक्त आदेश को ताफैसला वाद पुष्टि करने में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1815/2002/नागौर मिश्रीलाल वगैरहा बनाम हरिराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनियमितता की है। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 27-08-1994 के आदेश के बाद रेकार्ड में किए गए परिवर्तन को पुनः उक्त तिथि के समान होने का निष्कर्ष अंकित किया, जबकि अपीलीय न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी। उनका यह भी तर्क है कि आदेश दिनांक 11-07-1994 की विधिवत जांच किए बगैर ही आक्षेपित आदेश पारित कर अपीलीय न्यायालय ने भूल की है। उनका आगे तर्क है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की अपील अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्ध नहीं होकर बाजदायरी में पारित आदेश के बाबत दायर की गई थी। इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर अनियमितता की है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत अवैध एवं अनियमित होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-01-2002 को खारिज करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश को न्यायसंगत, तर्कसंगत तथा विधि सम्मत बताया है। उनका कहना है कि उनके पिता ने आराजी का क्रय किया किन्तु बंदोबस्त की दोषपूर्ण कार्यवाही से प्रार्थीगण के नाम अंकित हो गई। जबकि आराजी पर उनका कब्जाकाश्त है। आगे बताया कि उनके द्वारा पेश दावे में बाजदायरी प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान प्रार्थीगण ने भूमि का विक्रय कर दिया। आगे बताया कि अनजबी केता शामलाती भूमि का बिना विभाजन कब्जा प्राप्त नहीं कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1815/2002/नागौर मिश्रीलाल वगैरहा बनाम हरिराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सकता है। उनका तर्क है कि कोई सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के कब्जे में दखल देता है तो ऐसे सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना नियमाकुल है। आगे बताया कि आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, इस कारण अविभाजित आराजी के प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाएगा तथा किसी भी सहखातेदारान को अपना हिस्सा बेचने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अपीलीय न्यायालय का स्थगन देना स्वविवेकाधिकार है। उनका तर्क है कि शामलाती भूमि बाबत अजनबी केता के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में अपीलीय न्यायालय ने कोई अनियमितता नहीं की है। अतः अजनबी केतओं को आराजी में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। उनका कहना है कि अप्रार्थी आराजी का संयुक्त खातेदार होने से विधिक तौर पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में उन्होंने निगरानी निरस्त कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने योग्य है। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों तथा उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वर्तमान प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि विवादित भूमि संयुक्त खाते की आराजी है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित है कि पेमाराम ने अपने हिस्से की भूमि अब्दुल हकीम और मुमताज को विक्रय की है। अतः उक्त दोनों ही व्यक्ति अजनबी केता की श्रेणी में इंगित होते है। रेकार्ड से यह भी पाया जाता है कि वर्तमान में प्रश्नगत रकबे का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि जब तक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1815/2002/नागौर मिश्रीलाल वगैरहा बनाम हरिराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सहखातेदारों के मध्य विवादग्रस्त भूमि का विधि अनुसार विभाजन नहीं हो जाता तब तक सहखातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का बराबर हिस्सा माना गया है। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने आरआरडी 1996 पेज 148 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि –

Rajasthan Tenancy Act, Section 53&212- Transfer of Property Act, Section 44- Single Bench of the Board referred the matter for decision to the Larger Bench whether "Temporary injunction can be issued against the purchaser in respect of a particular piece of land transferred with possession by one co-tenant and entry thereupon- Held, T.I. can be issued against a stranger purchaser who has purchased unpartitioned land with possession of the co-tenants with the direction that he should not interfere in the cultivatory possession of the unpartitioned disputed joint khatedari land and should not use or take henefit of any part of land or transfer the land in co-tenancy to any person in any way whatsoever.(paras 4to14)

इस प्रकरण में मुख्य रूप से निर्णायक बिन्दु यह है कि क्या अजनबी केता बिना विभाजन कराये शामलाती खाते की भूमि पर काबिज हो सकता है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि–

AIR 2009 SUPREME COURT 2735-
Tarnsfer of property Act S.54- purchase of undivided share of co sharer- Right of purchaser to claim possession.

A purchaser can not have a better title than what vender had. An undivided share of co sharer may be a subject matter of sale, but possession can not be handed over to the vendee unless the property is partitioned by metes and bounds amicably and through mutual settlement or by a decree of the Court.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि अजनबी केता बिना विभाजन शामलाती खाते की भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता है, अगर प्रवेश कर भी लिया है तो वह वहॉ काबिज नहीं रह सकता है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में किसी प्रकार की अनियमितता किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1815/2002/नागौर मिश्रीलाल वगैरहा बनाम हरिराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाना नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त विधि सम्मत तरीके से पारित आक्षेपित निर्णय को अन्यथा सिद्ध करने बाबत प्रार्थीगण ने किन्हीं नवीन तथ्यों को हमारे समक्ष प्रकट नहीं किया है। सारांशतः प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में असंगत आधार को अभिवचित करने के कारण उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन/बलहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाकर राजस्व अपील अधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 24–01–2002 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1815/2002/नागौर मिश्रीलाल वगैरहा बनाम हरिराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए